

भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 11
उत्तर देने की तारीख 29 नवंबर, 2021
सोमवार, 08 अग्रहायण, 1943 (शक)

कोविड-19 के दौरान प्रवासी श्रमिक

11 श्री महेंद्र सिंह सोलंकी: श्रीमती संध्या राय: श्री संगम लाल गुप्ता:
श्री पी.पी. चौधरी: श्री राजबहादुर सिंह: श्री कृष्णपालसिंह यादव:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रवासी श्रमिकों की संख्या कितनी है जो कोविड-19 तालाबंदी के दौरान वापस लौटे थे;

(ख) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने जिले कवर होते हैं;

(ग) मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रवासी श्रमिकों की संख्या कितनी है जिन्हें जिला-वार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया था;

(घ) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के पश्चात प्रवासी श्रमिकों को प्रदान किए गए रोजगार के अवसरों का क्षेत्र-वार ब्योरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक क्षेत्र में राज्य-वार/जिला-वार नियोजित प्रवासी श्रमिकों की संख्या का ब्योरा क्या है?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) के कार्यान्वयन के लिए राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या इस प्रकार है:

राज्य	लौटने वाले प्रवासियों की संख्या (लाख)
मध्य प्रदेश	7.54
उत्तर प्रदेश	32.50
राजस्थान	13.08

(ख) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में कार्यान्वित की गई है।

(ग) और (ङ) गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) को समर्थित करने के लिए, कोविड-19 से प्रभावित वापस लौटे प्रवासियों के लिए पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) के केंद्रीय घटक अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के तहत एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया था। इस विशेष कार्यक्रम में छह राज्यों, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 116 जिलों को शामिल किया गया था। पीएमकेवीवाई-विशेष कार्यक्रम के तहत असम, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में एसटीटी के तहत प्रशिक्षित, प्रमाणित और नियोजित प्रवासियों की जिलेवार संख्या और आरपीएल के तहत उन्मुख और प्रमाणित उम्मीदवारों की संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(घ) पीएमकेवीवाई के तहत, एसटीटी प्रमाणित उम्मीदवारों को नियोजन के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि आरपीएल के तहत नियोजन किए जाने का प्रावधान नहीं है क्योंकि यह उम्मीदवार के मौजूदा कौशल को प्रमाणित करता है। पीएमकेवीवाई-विशेष कार्यक्रम में एसटीटी के तहत प्रशिक्षित, प्रमाणित और नियोजित प्रवासियों की क्षेत्रवार संख्या और आरपीएल के तहत उन्मुख और प्रमाणित उम्मीदवारों की संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

पीएमकेवीवाई-विशेष कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के अंतर्गत उन्मुख और प्रमाणित उम्मीदवारों और अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के अंतर्गत प्रशिक्षित, प्रमाणित और नियोजित प्रवासियों की जिले-वार संख्या

राज्य	जिला	अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी)			पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)*	
		प्रशिक्षित	प्रमाणित	नियोजित	उन्मुख	प्रमाणित
असम	डिब्रूगढ़	685	346	113	304	160
	नलबाड़ी	120	16	-	200	111
बिहार	अररिया	524	175	101	-	-
	औरंगाबाद	480	377	282	720	370
	बांका	1,080	679	-	650	548
	बेगूसराय	259	199	126	25	18
	भागलपुर	1,290	948	-	1,227	1,023
	भोजपुर	756	352	44	400	278
	बक्सर	1,107	612	74	480	345
	दरभंगा	1,403	753	270	-	-
	गया	1,110	782	37	450	417
	गोपालगंज	860	463	25	300	274
	जमुई	630	547	409	750	530
	कैमूर (भभुआ)	540	385	91	558	457
	कटिहार	1,805	875	245	-	-
	खगरिया	1,200	744	-	920	655
	किशनगंज	650	199	-	898	764
	मधेपुरा	720	262	-	748	510
	मधुबनी	1,346	721	169	423	354
	मुजफ्फरपुर	1,407	821	173	845	678
	नालंदा	410	387	40	480	420
	पश्चिम चंपारण	1,320	903	294	1,961	1,690
	पटना	905	475	111	856	579
	पूर्वी चंपारणी	1,984	1,386	174	3,759	3,168
	पूर्णिया	1,876	575	278	-	-
	रोहतास	1,470	824	95	1,020	715
	सहरसा	1,230	339	194	550	447
	समस्तीपुर	775	559	-	30	23
	सरनी	1,635	1,159	396	1,363	855
	सीतामढ़ी	840	661	184	300	276
	सिवान	580	203	105	834	742
	सुपौल	639	334	-	-	-
वैशाली	468	354	152	30	28	
मध्य प्रदेश	अलीराजपुर	810	449	73	350	120

	बालाघाटी	1,380	527	57	-	-
	बड़वानी	240	132	-	-	-
	बेतुल	840	447	69	-	-
	भिंड	300	218	-	94	89
	छतरपुर	360	105	-	-	-
	छिंदवाड़ा	660	470	-	-	-
	धार	357	215	162	-	-
	डिंडोरी	660	559	58	-	-
	पूर्वी निमाड़ी	204	104	-	-	-
	झाबुआ	1,470	723	404	263	188
	कटनी	598	93	67	363	229
	खरगोन	540	222	91	260	215
	मंडला	415	230	-	-	-
	पन्ना	1,010	601	252	-	-
	रेवा	450	272	130	-	-
	सागर	1,140	473	-	292	193
	सतना	840	198	315	-	-
	सिवनी	690	503	24	687	514
	शाहडोल	750	443	4	210	184
	शिवपुरी	630	136	-	340	297
	सिंगरौली	480	429	40	245	195
	टीकमगढ़	810	447	108	90	85
ओडिशा	बलांगीर	480	266	100	-	-
	बालेश्वर	364	233	-	368	183
	भद्रक	120	89	-	-	-
	गंजम	840	659	84	524	254
राजस्थान	अजमेर	639	457	80	292	233
	अलवाडी	810	640	94	944	721
	बांसवाड़ा	600	472	287	-	-
	बाड़मेर	665	645	545	620	571
	भरतपुर	720	548	21	-	-
	भीलवाड़ा	715	565	333	510	419
	बीकानेर	120	51	-	-	-
	चित्तौड़गढ़	870	744	528	119	79
	चुरू	120	102	39	-	-
	डूंगरपुर	1,075	999	866	-	-
	हनुमानगढ़	660	509	358	289	204
	जयपुर	464	265	225	-	-
	जालौर	480	352	-	-	-
	झुंझुनूं	600	548	246	-	-
	जोधपुर	840	601	494	99	93
	करौली	360	199	-	-	-
नागौरी	1,510	1,214	420	-	-	

	पाली	1,402	840	328	-	-
	राजसमंदो	578	345	189	-	-
	सीकर	655	572	257	-	-
	सिरोही	910	587	441	-	-
	उदयपुर	1,275	1,112	939	778	598
उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर	900	592	-	-	-
	अमेठी	360	79	-	-	-
	अयोध्या	240	223	19	658	560
	आजमगढ़	1,230	858	112	-	-
	बहराइच	720	416	186	310	260
	बलरामपुर	360	-	-	-	-
	बाँदा	700	496	-	368	317
	बस्ती	570	380	26	1,171	1,012
	चंदौली	567	341	102	335	294
	देवरिया	660	386	14	-	-
	फतेहपुर	637	319	53	-	-
	गाजीपुर	718	367	135	-	-
	गोंडा	840	466	10	-	-
	गोरखपुर	755	415	11	1,344	1,121
	हरदोई	1,080	696	443	379	307
	जालौन	420	269	-	-	-
	जौनपुर	840	502	-	-	-
	कौशाम्बी	539	423	80	-	-
	खेरी	648	574	48	120	90
	कुशी नगर	600	86	-	-	-
	महाराजगंज	1,320	595	-	-	-
	मिर्जापुर	111	88	25	-	-
	प्रतापगढ़	713	445	151	-	-
	प्रयागराज	1,014	624	94	1,549	1,324
	रायबरेलीक	546	383	-	-	-
	श्रावस्ती	168	66	85	125	114
	सिद्धार्थ नगर	1,792	1,194	193	1,639	1,553
	सीतापुर	294	95	31	-	-
	सुल्तानपुर	240	147	21	558	371
	उन्नाव	600	419	109	341	245
वाराणसी	780	503	78	319	192	
	योग	86,572	52,472	14,936	38,034	29,859

*आरपीएल में नियोजन को अधिदेश नहीं है क्योंकि यह उम्मीदवार के मौजूदा कौशल को मान्यता प्रदान करता है।

अनुबंध-II

पीएमकेवीवाई-विशेष कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के अंतर्गत उन्मुख और प्रमाणित उम्मीदवारों और अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के अंतर्गत प्रशिक्षित, प्रमाणित और नियोजित प्रवासियों की क्षेत्र-वार संख्या:

क्षेत्र	अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी)			पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)*	
	प्रशिक्षित	प्रमाणित	प्रशिक्षित	प्रमाणित	प्रशिक्षित
एयरोस्पेस और विमानन	120	118	-	-	-
कृषि	618	482	83	1,062	701
परिधान	19,030	13,633	3,350	10,053	8,857
मोटर वाहन	1,650	1,155	221	1,565	1,377
सौंदर्य और कल्याण	2,189	1,104	320	220	114
पूँजीगत वस्तुएं	1,685	645	470	316	160
निर्माण	11,825	6,694	2,533	9,843	7,582
घरेलू श्रमिक	210	77	-	1,111	888
इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	15,803	9,836	2,400	2,641	1,816
खाद्य प्रसंस्करण	565	297	21	703	620
फर्नीचर और जुड़नार	180	176	69	860	608
ग्रीन जॉब्स	360	180	130	-	-
हस्तशिल्प और कालीन	360	305	-	-	-
स्वास्थ्य देखभाल	1,750	994	96	420	260
इंफ्रास्ट्रक्चर उपकरण	180	174	-	-	-
लोहा और इस्पात	150	109	-	94	89
आईटी आईटीईएस	4,792	1,636	564	777	431
जीवन विज्ञान	964	440	97	-	-
रसद	4,939	3,390	1,257	810	757
प्रबंध	650	402	124	264	86
मीडिया और मनोरंजन	750	513	128	300	276
खुदाई	180	107	-	-	-
पाइपलाइन	1,552	464	85	357	311
शक्ति	1,200	722	242	257	197
खुदरा	7,535	4,216	1,490	3,240	2,369
दूरसंचार	4,992	3,326	813	747	571
पर्यटन और आतिथ्य	2,343	1,277	443	2,394	1,789
योग	86,572	52,472	14,936	38,034	29,859

*आरपीएल में नियोजन को अधिदेश नहीं है क्योंकि यह उम्मीदवार के मौजूदा कौशल को मान्यता प्रदान करता है।
